हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
3.7.19 वकलाय उभयपक्षी पूर्व में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ~~स्वीकार~~ मृतक शान्ति देवी का नाम हजफ करने का प्रतिवादी/अप्रार्थी की अनापत्ति पर स्वीकार किया जाकर मृतक अप्रार्थी/प्रतिवादिया शान्ति देवी का नाम वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से हजफ किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17.7.19 को पेश हो।	वादी/प्रार्थी 5 शान्ति को नाम हजफ करने में आपत्ति नहीं है 3/7/2019
17/07/19 पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। वकलाय फरीकैन की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अधिवक्तागण प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र टी॰ आई॰ में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए ~~उन्होंने~~ प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का एवं तादौराने फैसल वाद T. I. कन्फर्म करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र टी॰ आई॰ में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए प्रा॰ पत्र टी॰ आई॰ खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, प्रा॰ पत्र टी॰ आई॰, जवाब प्रा॰ पत्र टी॰ आई॰, पेशशुदा दस्तावेज व Rulling का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थीगण पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं जबकि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। चूंकि विवादग्रस्त आराजी के संबंध में पक्षकारों के हक-अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर होना है। अतः प्रा० पत्र टी० आई० में प्रार्थीगण के विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार नहीं होने पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने पर प्रा० पत्र टी० आई० खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील शामिल मूल वादपत्र हो। यह निर्णय आज दिनांक 17-07-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	17/07/19 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)